न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

...अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

...सा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01 / 219 / 2023	07.06.2023	03.01.2025

उनवान

1.छोटी पत्नि हुसैन खॉ जाति मेव, निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर।

....वादी

बनाम

1. अन्धु पुत्र भोन्दू
2. नूर मोहम्मद पुत्र भोन्दू
3. उमरमोहम्मद पुत्र भोन्दू जाति मेव निवासीयान ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर।

....असल प्रतिवादी

4. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(दावा धारा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आरटीएक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण–

श्री आसमौहम्मद एडवोकेट–वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 0.33, जो साबिक खसरा नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बना है, ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है । विवादित आराजी वादिनी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा वादिनी रिकॉर्डेड काबित खातेदार काश्तकार है। यह है कि काफी अर्सा पूर्व वादिनी ने विवादित आराजी को असल प्रतिवादीगण को 10000/– रूपये में बिला कब्जा रहन रखा था, जिस रहन का इतंकाल सख्या 183 दर्ज मंजूर होकर बतौर मुर्तहिन असल प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में अमल में आ गया था। मिन वादिनी ने उक्त रहन की राशि को असल प्रतिवादीगण को चुकता भी कर दिया था तथा असल प्रतिवादी गण ने कहा कि वो राजस्व अभिलेख से मुर्तहन का इन्द्राज हटवा देगें। किन्तु असल प्रतिवादीगण ने इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की तथा विवादित आराजी बदस्तूतर राजस्व अभिलेख में मुर्तहन असल प्रतिवादीगण का नाम भी दर्ज चला आ रहा है जिससे वादिनी के हक्कू जायल होते है।

असल प्रतिवादी गण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर मुर्तहिन दर्ज रहने से वादिनी को अपूर्णनीय क्षति होगी व वादिनी के हकूकों पर विपरीत असर पडता है इसलिए वादिनी राजस्व अभिलेख ताहाल में बतौर मुर्तहिन असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रहे इन्द्राजात को अपने हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसल व नाकाबिल पाबन्दी कराल दिलाते हुए कलमजन कराने की व राजस्व अभिलेख में दुरूस्त कराने की काननून अधिकारी है।

03.1.25

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)